

(1)

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक / 11 / 2025

शहडोल दिनांक 28.02.2025

///विविध आदेश///

मैं राजेन्द्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल (म0प्र0), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं 13 तथा म0प्र0, दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **जिला शहडोल** के लिए निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगणों की **माह मार्च-2025** की ड्यूटी सुनिश्चित करती हूँ। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	मार्च-2025
मुख्यालय शहडोल		
1	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	30, 31
2	श्री ऋषभ डॉनल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	01, 02, 09
3	सुश्री दीप्ति चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	14, 16
4	सुश्री श्वेता यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	15, 23
तहसील-जयसिंहनगर		
5	श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0	01 लगायत 31 तक (समस्त अवकाश दिवस)
तहसील-ब्यौहारी		
6	श्री पुष्पेन्द्र सिंह न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	01, 14, 23
7	सुश्री रानू रिछारिया न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	02, 15, 30

(2)

08	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	09, 16, 31
तहसील-बुढ़ार		
9	श्री विजेन्द्र सिंह रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	01, 15, 31
10	श्रीमती आकांक्षा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	02, 16
11	श्री ऋषव दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	09, 23
12	श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	14, 30

नोट:-

(1)- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2)- उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी शासकीय अवकाश/अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

क	माह	न्यायाधीशगण का नाम
1	मार्च-2025	सुश्री दीप्ति चौहान, जेएमएफसी शहडोल म0प्र0
		श्रीमती प्रगति मिश्रा, जेएमएफसी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0
		श्री पुष्पेन्द्र सिंह, जेएमएफसी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0
		श्री ऋषव दीक्षित, जेएमएफसी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0

(3)

(3)– पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी, तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

(4)– यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल म0प्र0 को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।


(5)– **आरक्षी केन्द्र जैतपुर थाना** के अंतर्गत माह मार्च-2025 तारीख 01 से 15 तक के अंतर्गत आने वाले अकार्य दिवस/सार्वजनिक अवकाश/शासकीय अवकाश में रिमाण्ड कार्य **जिला मुख्यालय शहडोल** में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगी होगी, उनके द्वारा रिमाण्ड कार्य संपादित की जावेगी।

(6)– पुलिस अधीक्षक शहडोल को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित थाना प्रभारियों को आदेशित करें कि अभियुक्त/गण के रिमाण्ड हेतु समय पर दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य हेतु आवश्यक रूप से उन्हें न्यायालय में उपस्थित रखे, विलंब से उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा।


(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्या:-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल/जयसिंहनगर/ब्यौहारी/बुढार/जैतपुर की ओर प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 4- जिला जेल शहडोल एवं उपजेल ब्यौहारी/बुढार की ओर सूचनार्थ।
- 5- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, शहडोल को इस निर्देश के साथ कि प्रेषित की जावे कि वह दूरसंचार के माध्यम से उक्त आदेश को प्रसारित करें।
- 6- जिला नाजिर, शहडोल की ओर इस निर्देश के साथ अप्रेषित कि वे रिमाण्ड ड्यूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवायें।


(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)